संख्या-14 /2025/1389/तीस-1-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2025

विषय- बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, मऊ के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-643बी/डीए/पूर्व/24-09जेईटी/वि0/15-16, दिनांक 22.07.2024 एवं पत्र संख्या-1040बी/डीए/पूर्व/24-09जेईटी/वि0/15-16, दिनांक 05.12.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-30/2016/551/तीस-1-2016-5(31)/2015, दिनांक 08.08.2016 द्वारा बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला मऊ के निर्माण हेतु धनराशि रू0 1211.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रू0 484.00 लाख कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-05/2018/1583/तीस-1-2018-5(31)/2015, दिनांक 27.02.2018 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 484.00 लाख, शासनादेश संख्या-14/2019/565/तीस-1-2019-5(31)/2015, दिनांक 03.10.2019 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 182.837 लाख एवं शासनादेश संख्या-13/2020/463/तीस-1-2020-5(31)/2015, दिनांक 01.09.2020 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 1455.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख निर्गत की गयी है। तत्क्रम में शासनादेश संख्या-11/2021/230/तीस-1-2021-5(31)/2015, दिनांक 25.03.2021 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख, शासनादेश संख्या-4/2022/651/तीस-1-2021-5(31)/2015, दिनांक 07.01.2022 द्वारा षष्टम किश्त के किश्त के रूप में रू0 40.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-26/2022/474/001-5-31-15-E-1465061, दिनांक 22.11.2022 द्वारा सप्तम किश्त के रूप में 41.47 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 1382.307 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी है। उक्त निर्माण कार्य हेतु कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, (उ0प्र0 जल निगम) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त प्रस्ताव एवं विचारोपरान्त बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, मऊ के निर्माण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू0 1455.06 लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 1382.307 लाख को घटाते हुये 5 प्रतिशत अवशेष धनराशि रू0 72.753 लाख (बाहत्तर लाख पचहत्तर हजार तीन सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि की व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।
(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ताओं के साथ पूर्ण कराया जायेगा।
(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

(12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

(13) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-30/2016/551/तीस-1-2016-5(31)/2015, दिनांक 08.08.2016, शासनादेश संख्या-05/2018/1583/तीस-1-2018-5(31)/2015, दिनांक 27.02.2018, शासनादेश संख्या-14/2019/565/ तीस-1-2019-5(31)/2015, दिनांक 03.10.2019, शासनादेश संख्या-13/2020/463/तीस-1-2020-5(31)/2015, दिनांक 01.09.2020, शासनादेश संख्या-11/2021/230/तीस-1-2021-5(31)/2015, दिनांक 25.03.2021, शासनादेश संख्या-4/2022/651/तीस-1-2021-5(31)/2015, दिनांक 07.01.2022 एवं शासनादेश संख्या-26/2022/474/001-5-31-15-E-1465061, दिनांक 22.11.2022 के अनुरूप यथावत रहेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या–E-9-139-X-2024-25-दिनांक: 31-1-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-14 /2025/1389(1)/तीस-1-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।